न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 59 सन 2020
अनवान :–

1. महावीर पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम

1. दलबीर पुत्र स्व हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सोना पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सुखवती पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. कमा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2022

राक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 395/382 की कुल 19.6900हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 415/307 की कुल 2.0740हैक भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हरचन्द पुत्र रूपराम जो वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है हरचन्द पुत्र रूपराम के जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पूर्व में उनके पूर्वज हुणताराम वल्द बालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बराबर का हक हिस्सा की भूमि है।

इसप्रकार हरचन्द पुत्र रूपराम के देहान्त होने के बाद एव प्रतिवादी संख्या 2 को विरासतन से प्राप्त होने के कारण वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं हरचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हरचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी का पिता/माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता माता के नाम से दर्ज है वादी के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वज बिडदाराम वल्द बालूराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नामउनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकदाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 395/382 की कुल 19.6900हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 415/307 की कुल 2.0740हैक भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हरचन्द पुत्र रूपराम जो वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है हरचन्द पुत्र रूपराम के जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पूर्व में उनके पूर्वज हुणताराम वल्द बालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से बाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बराबर का हक हिस्सा की भूमि है।

इसप्रकार हरचन्द पुत्र रूपराम के देहान्त होने के बाद एव प्रतिवादी संख्या 2 को विरासतन से प्राप्त होने के कारण वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं हरचन्द व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 395/382 की कुल 19.6900हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 415/307 की कुल 2.0740हैक भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है इसीप्रकार जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बिडदाराम वल्द बालूराम के नाम से दर्ज थी बिडदाराम वल्द बालूराम के देहान्त होने के वाद विरासतन से वाद भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी की माता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 395/382 की कुल 19.6900हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है में से खसरा न0 289/1 की 9.5990हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी एवं खसरा न0 151 की 1.9850हैक ,खसरा न0 638/2 की 8.1060हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 415/307 की कुल 2.0740हैक भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. दलवीर पुत्र स्व हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. सोना पत्नी हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. सुखवती पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. गीता पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. गायत्री पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. कमा पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 59 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 395/382 की कुल 19.6900हैक भूमि प्रतिवादी सख्या 2 के नाम दर्ज है में से खसरा न0 289/1 की 9.5990हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी एवं खसरा न0 151 की 1.9850हैक ,खसरा न0 638/2 की 8.1060हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 415/307 की कुल 2.0740हैक भूमि हरचन्द पुत्र रूपराम के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिष के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2022– को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner